राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

...वाद संख्या 15/2025

...दायरा तिथि : 20/01/2025

निर्णय :- 5-3-25

भंवरलाल बनाम राजरथान सरकार आदि

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ति

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :– दिनांक 20/01/2025 को वादी भंवरा राम पुत्र भींवाराम उम्र 69 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू ने उक्त धारा के तहत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दूंकर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 503, खसरा संख्या 1010/126 तादादी 1.5176 हेक्टेयर व खाता संख्या 504 के खसरा नम्बर 142 तादादी 6.8544, खसरा नम्बर 463 तादादी 10.9771 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 598/264 तादादी 5.6150 हेक्टेयर में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र भींवाराम दर्ज है वह गलत है, जबकि वादी का सही नाम भंवरा राम पुत्र भींवाराम है। प्रतिवादीगण 1 ता 10 को जरिए नोटिस लतब किया गया, प्रतिवादीगण छोटी देवी, जसकरण, जीवणराम, दौलतराम, बीड़दाराम, मोहनी, हुकमाराम पुत्रगण व पुत्रीगण भींवाराम उपस्थित हुए जिन्होंने इकबालिया ब्यान प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमार भाई का वास्तविक नाम भंवरा राम है न कि भंवरलाल। अतः सही नाम भंवरलाल की बजाए भंवरा राम किया जावे।

पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर वादी अपना नाम शुद्ध करवाये तो हमें आपत्ति नहीं है व प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 वित्तीय संस्था है, जो बावजूद सम्मन के उपस्थित नहीं अतः उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपना आधार कार्ड नं. 494366359234, पहचान–पत्र भारत निर्वाचन आयोग, अपना परिवार राशन कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर की पासबुक आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिन सभी में भंवरलाल की बजाय भंवरा राम अंकित है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जमाबन्दी ग्राम दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू के खाता संख्या 503 खसरा नम्बर 1010/126 तादादी 1.5176 हेक्टेयर व खाता संख्या 504 के खसरा नम्बर 142 तादादी 6.8544, खसरा नम्बर 463 तादादी 10.9771 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 598/264 तादादी 5.6150 हेक्टेयर में अंकित खातेदार भंवरलाल पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी दूंकर की बजाय भंवरा राम पुत्र भींवा राम जाति जाट निवासी दूंकर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार बीदासर को प्रतिलिपि पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर